

राजस्थान सरकार
रामान्य प्रशासन (मुप-2) विभाग

क्रमांक :- ५.३(१)साप्र / २ / २०१२

जयपुर, दिनांक १६-७-१२

— आदेश —

श्री कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस., विशेषाधिकारी, कार्मिक (क-१) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर जिनकी तृतीय श्रेणी की वरियता संख्या ८४/२०१२ है तथा सेवानिवृत्ति दिनांक ३०.४.२०४४ है के आधार पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, १९५८ के नियम २७ में शिथिलन प्रदान करते हुए "आउट ऑफ टर्न" के आधार पर राजकीय आवास रांख्या ॥/५३, एवीएस, गांधीनगर, जयपुर का नियमानुसार किराये पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है —

शर्तः

१. आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से ८ दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश खत निरस्त समझा जायेगा।
२. उक्त आवास का किराया राजस्थान रियल सेवा गिवास स्थान के किराये का अद्वारण और वसूली नियम, १९५८ के अन्तर्गत सज्ज सरकार द्वारा समय-समरा पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
३. सेवानिवृत्ति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
४. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
५. खवयं तथा पली/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होता।
६. नूँके उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, १९५८ के नियम ११(ग)ए के अनुसारण में आदेश प्रसारित होने के आवास आवंटन की तिथि से ८ दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से ६ माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। ६ माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
७. रामनिधि विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से ८ दिवस में लिया जायेगा; अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर पाए इस विभाग को नियमाने का श्रम करायें।
८. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशासी अधियन्ता/आवासीय अधियन्ता को यह घोषणा करनी होगी।
 १. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 २. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई रवैया/पनि व उन पर आक्षित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
९. श्री कुमार पाल गौतम से "कॉमन सुविधा" शुल्क राशि रुपये ३००/- (अक्षरे तीन सौ रुपये मात्र) प्रतिमाह सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा करायें।
- १०.उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

आज्ञा से,

२

(मनफूल देवरा)
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि में निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है —

१. समाग्रीय आयुक्त, जयपुर।
२. जिला कलक्टर, जयपुर।
३. विशेषाधिकारी, कार्मिक (क-१) विभाग।
४. उप सचिव (वी.पी.) मुख्यमंत्री कार्यालय को उन श्री आई.डी. संख्या एफ12003238 दिनांक १६.७.२०१२ के क्रम में।
५. निदेशक, रामान्य विभाग, निजी रायिवालय, जयपुर।
६. मुख्य अग्रिमता, रार्केन्सिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
७. प्रबन्धक, सर्किट हाउस, जयपुर।
८. प्रबन्धक, राजकोष, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करायें।
९. मुख्य लेखाधिकारी/को-प्राधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
१०. अधिशासी अधियन्ता, सामिनीवि/जन स्वातं अभियोगि/जयपुर विविधियोग लिंग, गांधीनगर जयपुर।
११. संविधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किसी भी कटीरी की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-६ की पालना को भी अगले में लावें।
१२. श्री कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस., विशेषाधिकारी, कार्मिक (क-१) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
१३. निदेशक, उद्यान विभाग, रार्केन्सिक निर्माण विभाग जयपुर।
१४. सहायक अधियन्ता, रार्केन्सिक निर्माण विभाग वाकी, गांधीनगर, जयपुर।
१५. शासन सहायक सचिव (निवृत्त अधिकारी) सामान्य प्रशासन (मुप-५) विभाग।
१६. निजी संविवेदन, ग्रन्थालय शासन सचिव, शासन सचिव, साक्षर्य।
१७. रक्षित पत्रावली।

१

(मनफूल देवरा)

शासन सहायक सचिव